



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2010/श्रावण 5, 1932

No. 416]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2010/SHRAVANA 5, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 636(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित को दिनांक 1-4-2010 से 31-3-2012 तक दो वर्षों की अवधि के लिए कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

1. श्री योगेश मेहता, कांडला स्टीवडोर्स एसोसिएशन लिमिटेड के प्रतिनिधि, कार्गो हाउस, बी.बी.जेड.-एस/32ए, गांधीधाम-कच्छ-370201	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत यथाविचारित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
--	---

[फा. सं. पीटी-18011/10/2009-पीटी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2010

G.S.R. 636 (E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the following as trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla Port Trust for a period of two years with effect from 1-4-2010 to 31-3-2012 :

TABLE

1. Sh. Yogesh Mehta, representing Kandla Stevedores' Association Ltd., Cargo House, B.B.Z.-S/32A, Gandhidham-Kachchh-370201.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3 (1) (c) (ii) of MPT Act, 1963.
--	--

[F.No. PT-18011/10/2009-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.